महत्वपूर्ण

संख्या-14/2024/672286/60-1099/119/2024

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 28 जून, 2024**

विषय:- विधवा महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु एडवाइजरी जारी करने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक महासचिव, मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लॉक, जीपीओ काम्प्लेक्स आईएनए, नई दिल्ली के पत्र संख्या-R-13/2/2024-PRPP(RU-2), दिनांक-11.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 के अधीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मा0 आयोग द्वारा अवगत कराना है कि देश में विधवा महिलाओं को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। इन महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाओं सामना करना पड़ता है जिसका उनके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रड़ता है। अलगाव, शिक्षा की कमी, वित्तीय संसाधन एवं परिवार के सहयोग के बिना उन्हें अपना जीवन सम्मान से जीने हेतु समझौते करने पड़ते हैं।

3- विधवा महिलाओं के प्रकरणों एवं चुनौतियों के संबंध में परामर्श जारी करने हेतु संघ एवं राज्य सरकारों को निर्देशित करते हुए मा0 आयोग द्वारा उक्त महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं उनके सम्मान की सुरक्षा हेतु विधवा महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु एडवाइजरी जारी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त एडवाइजरी को क्रियान्वित कराये जाने हेतु पत्र जारी करने एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट एवं प्रगति की सूचना 02 माह के भीतर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधवा महिलाओं के मानवाधिकारों एवं उनके जीवन को गुणवत्तापूर्ण व सम्मानजनक बनाये जाने हेतु जारी की जा रही एडवाइजरी को क्रियान्वित कराने एवं कृत कार्यवाही की प्रगति की सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in